...यालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

..................................बनाम ....

...मुकदमा ....मु. नं0.........................वर्ष.................

दिनांक	आज्ञा पत्र
24/7/23	पत्र0 पेश हुई। जरिये आप पक्ष हाजिर। का0 22 आवेदन का पूर्व में जवाब पेश हो चुका है। पत्र0 वास्ते बहस दिनांक 31.7.23 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी- सीकर
31/7/23	पत्रावली पेश हुई। आज अभिभाषकगण ने कार्य स्थगित कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 2.8.23 को पेश हो। [signature]
2/8/23	पत्रावली पेश हुई। आज अभिभाषकगण ने कार्य स्थगित कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 7.8.23 को पेश हो। [signature]
7/8/23	पत्र0 पेश हुई। जरिये आप पक्ष हाजिर, बहस सुनी गई। पत्र0 वास्ते आदेश दिनांक 17.8.23 को पेश हो तब तक स्थगन यथावत रहेगा। [signature]
17/8/23	पत्र0 पेश हुई। जरिये आप पक्ष हाजिर। प्रार्थीगण द्वारा पेश का0 22 आवेदन अपील [illegible] 45 का खारिज किया जाता है। निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल मिसल किया गया। पत्र0 फैसला अनुसार होकर नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज खुले न्यायालय में मेरे हस्ताक्षर से सुनाया गया। [signature] उपखण्ड अधिकारी- सीकर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सीकर

पीठासीन अधिकारी – श्री जय कौशिक (आर.ए.एस)

प्रा0 प0 संख्या 215/2022

नानगचन्द पुत्र नागरमल जाति महाजन निवासी पिपराली तहसील व जिला सीकर हाल आबाद खण्डेला, तहसील खण्डेला जिला सीकर

–प्रार्थी–

बनाम

1. राजेन्द्र
2. महेन्द्र पुत्रगण स्व0 गोकुलचन्द
3. दीपचन्द
4. कैलाश
5. छीतर पुत्रगण स्व0 सत्यनारायण समस्त जाति महाजन निवासीगण पिपराली तहसील व जिला सीकर हाल आबाद खण्डेला तहसील खण्डेला जिला सीकर
6. सुरेश पुत्र स्व0 मांगीलाल जाति महाजन निवासी पिपराली तहसील व जिला सीकर
7. प्रेमकुमार पुत्र स्व0 मांगीलाल जाति महाजन निवासी पिपराली तहसील व जिला सीकर हाल आबाद सुरजनगर पश्चिम केशवपथ, सोडाला, जयपुर
8. मुरारी पुत्र मांगीलाल
9. अशोक पुत्र मांगीलाल
10. सज्जन कुमार
11. विनोद कुमार
12. श्री प्रकाश पुत्रगण स्व0 ओंकार
13. संजीव पुत्र लाल मोहन
14. राजीव पुत्र लाल मोहन
15. जयप्रकाश पुत्र स0. बजरंगलाल (मृत) अमित पुत्र जयप्रकाश
16. अमित पुत्र जयप्रकाश
17. महेश पुत्र स्व0 बजरंगलाल
18. संदीप कुमार पुत्र रामावतार समस्त जाति महाजन निवासीगण पिपराली तहसील व जिला सीकर

उपखण्ड अधिकारी- सीकर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर (राज0)

उप पंजीयक, सीकर
हल्का पटवारी, पटवार हल्का पिपराली तहसील व जिला सीकर
तहसीलदार, सीकर

– अप्रार्थीगण –

आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित –वकील प्रार्थीगण – श्री विधाधर सुण्डा
वकील अप्रार्थीगण – श्री सांवरमल चौधरी, नानूराम बुरानियां

निर्णय

दिनांक : 17.08.2023

वकील प्रार्थी ने एक दावा उद्घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का मय आवेदन 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया । आवेदन के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम पिपराली तहसील व जिला सीकर की तन में कृषि भूमि खसरा नम्बर 468 रकबा 9 बीघा 6 बिस्वा एवं 326/1527 रकबा 7 बीघा 5 बिस्वा पुख्ता रकबा अवस्थित रही है। जिसके नवीन खसरा नम्बर 1299, 1300, 1474 एवं 1478 कायम किये गये। जो आवेदक एवं अनावेदक संख्या 1 ता 18 की पैतृक कृषि भूमि है जिस पर उनके पूर्वज श्योनारायण बहैसियक खातेदार काश्तकार सम्वत 1998 ठीकाना, सीकर के समय से काबिज काश्त करते रहे है। उनकी मृत्यु के बाद आवेदक के पिता नागरमल व अनावेदक संख्या 6 ता 9 के पिता स्व0 मांगीलाल, 10 ता 12 के पिता स्व0 औंकार तथा 15 ता 17 के पिता स्व0 बजरंगलाल एवं 18 के पिता स्व0 रामावतार बराबर–बराबर हिस्सा 1/5–1/5 काश्त करते रहे है। उक्त सम्पदा संयुक्त रूप से हिन्दु परिवार की है। उक्त भूमियां कभी भी जागीरदार व माफी मंदिर अथवा माफी मंदिर चन्द्र बिहारीजी वाके सीकर की खुद काश्त की भूमि नहीं रही है। उक्त भूमियां श्योनारायण जी के कब्जे काश्त की भूमि रही है जिनका लगान भी ठीकाना सीकर को अदा करते आ रहे है। जागीरदारी एक्ट 1952 के प्रभाव में आने पर जागीरदार की माफी समाप्त होने के वक्त एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रभाव में आने की दिनांक 15.10. 1955 से इस अधिनियम की धारा 15 के प्रावधानों के तहत आवेदक एवं अनावेदकगण के पितागण को खातेदारी अधिकार प्राप्त होना कानूनन अपेक्षित है परन्तु अनावेदकगण संख्या 6 ता 18 के स्व0 पितागण ने राजस्व अभिलेखों में इन्द्राज करवा ली जो अवैध एवं शुन्य की श्रेणी में आती है क्योंकि श्योनारायण की प्रथम पत्नी सेवली देवी से एक

खण्ड अधिकारी- सीकर

मात्र पुत्र नागरगल पैदा हुआ। सेवली देवी का देहान्त होने पर श्योनारायण ने दुसरी शादी दुर्गादेवी से की है जिससे चार पुत्र मांगीलाल, ओंकारमल, बजरंगलाल व रामवतार पैदा हुऐ। सेटलमेंट व राजस्व विभाग के कर्मचारियों को कानूनन अवैध प्रविष्टियां करने का अधिकार नहीं है। सेटलमेंट की कार्यवाही की समाप्ति के पश्चात नियमित वाद में निरस्त करने का क्षैत्राधिकार माननीय न्यायालय को है। पुराना खसरा नम्बर 468 के नये खसरा नम्बर 1299 व 1300 के वर्तमान रिकार्ड में अवैध प्रविष्टियों के आधार पर अनावेदक संख्या 6 ता 18 के पितागण एव उनके स्वर्गवास के पश्चात उनके नाम से दर्ज है जो अपने हिस्से से अधिक की दर्ज की गई है। जो प्रथम सेटलमेंट से ही अवैध एवं शुन्य हैं। अनावेदकगण संख्या 6 ता 18 ने आवेदक एवं अनावेदक संख्या 1 ता 5 को नुकसान पहुंचाने के लिये दुरभी सन्धी कर रखी है। जिसके तहत वह गलत प्रविष्टियों की आड़ में उन्हे बेदखल करना चाहते हैं तथा बेचान करने की धमकी देते हैं। अनावेदकगण को राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाने के लिये दिनांक 20.7.02 को कहा तो इन्कार कर दिया एवं उनके खतेदारी अधिकारों को मानने से ही इन्कार कर दिया । इसलिये दावा व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। आवेदक एवं अनावेदक संख्या 1 ता 5 अपने परिवार के भाई बंन्धु होने के कारण राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाने के आवश्वासन पर विश्वास करते आ रहें है, दुसरी तरफ अनावेदक संख्या 6 ता 18 वादग्रस्त कृषि भूमियों के राजस्व रिकार्ड की वास्तविक स्थिति में परिवर्तन गुपचुप में करने की कुचेष्टा में है। इसके तहत खसरा नम्बर 1474 व 1467 की किस्म परिवर्तन तहसीलदार से गुपचुप तरीके से करवा लिया है जो वर्तमान में कृषि भूमि नहीं है। जिसके संबध में भी सक्षम प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष चाराजोही करने के अधिकार को सुरक्षित रखते हुऐ प्रस्तुत वाद खसरा नम्बर 1299 व 1300 का प्रस्तुत किया गया है। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में है क्योंकि अनावेदक संख्या 6 ता 18 वादी/प्रार्थी को जबरन लठ के बल पर व गलत प्रविष्टियों के आधार पर बेदखल करने की कुचेष्टा कर रहे हैं। अतः आवेदन स्वीकार किया जाकर अनावेदक संख्या 6 ता 18 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 के हक हिस्से में किसी प्रकार से दखलदांजी नहीं करे, बेचान नहीं करे एवं उन्हे जबरन बेदखल नहीं करें।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर रिपोर्ट राजस्व लिपिक ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया । अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। जिस पर अप्रार्थी संख्यां 4,5,7,11, एवं 16 से 18 जरिये वकील उपस्थित रहे, अप्रार्थी संख्या 1,2,3, 6, 8, 9, 10, 12 से 15 एंव 19 से 21 बावजूद विधिवत तामिल के अनुपस्थित रहे, अतः इनके खिलाफ कार्यवाही एक तरफा अमल मे लाई गई। अप्रार्थी संख्या 4 व 5 ने ईकबाली जवाब मय काउण्टर आवेदन के प्रस्तुत किया जिसमें प्रार्थना पत्र के तथ्यों को स्वीकार

उपखण्ड अधिकारी- सीकर

हुए अपने काउण्टर आवेदन में भी आवेदक के तथ्यों को दोहराते हुए अनावेदक संख्या 6 ता 18 को पाबन्द करने का निवेदन किया गया। प्रार्थी ने अपने जवाब काउण्टर में अप्रार्थी संख्या 4 व 5 द्वारा प्रस्तुत काण्टर आवेदन को स्वीकार किया है। अप्रार्थी संख्या 7, 11, 16 से 18 की ओर से जवाब प्रस्तुत कर अपने जवाब में प्रार्थी के कथनों का खण्डन करते हुए कथन किया कि सजरा खानदान अधुरा प्रस्तुत किया गया है। श्योनारायण के चार पुत्रियां भी थी, एंव जयप्रकाश की मृत्यु हो चुकी है जिसकी पत्नी मंजूदेवी भी प्रथम श्रेणी की वारिसान है। श्योनारायण की मृत्यु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से काफी पूर्व हो चूकी थी। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ जब भूमियों पर काबिज व्यक्तियों को ही खतेदारी अधिकार प्रदान किये गये थे। भूमि खसरा नमबर 468, 326/1527 की जब प्रथम जमाबंदी सम्वत 2011 से 2014 बनी तब मांगीलाल, उंकारमल, बजरंगलाल व रामोवतार पुत्र श्योनारायण के नाम से बनी थी जो निर्बाध रूप से काबिज काश्त चले आ रहे थे। उनके अलावा उक्त भूमियों पर किसी का कब्जा काश्त व अधिकार नहीं था। पुराने खसरा नम्बर 348 व 347 की खातेदारी नागरमल पुत्र श्योनारायण के नाम से बनी एवं 346 की खातेदारी नागरमल की मृत्यु होने पर उनके पुत्र गोकुलचन्द, सत्यनारायण व नानगचन्द के नाम से हो गई। जिसके नये खसरा नम्बर 1357 कायम हुऐ उक्त भूमि को इन्होने शिवपाल पुत्र पोखरमल को दिनांक 2.12.2001 एवं दिनांक 20.2.2004 को सम्पूर्ण भूमि का बेचान कर दिया । नागरमल श्योनारायण के जीवनकाल में ही उनसे अलग रहने लख गया था। सम्वत 1998 में किसी को खातेदारी अधिकार प्राप्त ही नहीं थे इसलिये भूमियां पैतृक होने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। प्रार्थी का परिवार एवं अनावेदक का परिवार बालिग होने पर कभी शामलाति नहीं रहा। नागरमल बालिग होते ही पिपराली छोड़कर दूसरी जगह चला गया एवं वहीं अपना करोबार करने लगा। राजस्व रिकार्ड में जो इन्द्राज हुआ है वह विधिवत हुआ है। प्रथम पर्चा सेटलमेंट कब्जे काश्त के आधार पर जारी किया गया था उसी के आधार पर प्रथम जमाबंदी तैयार हुई थी। नागरमल को पुराने खसरा नम्बर 4687, 326/1527 में खातेदारी अधिकार प्राप्त ही नहीं हुऐ इसलिये उत्तरदातागण के पूर्वजों के पक्ष में कोई पश्चातवर्ती अंकन नहीं हुआ। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने पर उक्त भूमियों का प्रथम अंकन उत्तरदाता के पूर्वजों के पक्ष में हुआ है एवं नागरमल का खसरा नम्बर 346 से 348 में अंकन हुआ है। भूमि खसरा नम्बर 1299 एवं 1300 को उत्तरदातागण ने तीजूदेवी पत्नी भगवानाराम को सम्पूर्ण विक्रय कर दिया है एवं अपने फुटस्टेप पर काबिज करवा दिया है। अतः कब्जे के अभाव में प्रार्थी का वाद एवं आवेदन चलने योग्य नहीं है। प्रश्नगत भूमियों की गिरदावरी में इनका नाम अंकित नहीं है ना ही कोई विधुत कनेक्शन इनके नाम से है ना ही कब्जा काश्त है। वर्तमान में कब्जा काश्त तीजूदेवी का है जिसने मुगफली एवं गवांर की फसल काश्त कर रखी है।

खण्ड अधिकारी- सीकर

लिये ना तो प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला इनके पक्ष में है ना ही सुविध का संतुलन और नही इनको कोई अपूर्णीय क्षति होती है। प्रार्थी एवं उनके पिता ने इन भूमियों का ...ी लगान अदा नहीं किया। अप्रार्थी संख्या 6 ता 9 के पिता स्व0 मांगीलाल ने अपने ...नकाल में ही विधुत संबध ले रखा था तथा कुऐ पर पुख्ता आवासीय मकान बना ... आवास निवास एवं सिंचाई करता था। प्रार्थी कभी भी उस भूमि को देखने नहीं ...ा इसलिये प्रार्थी वास्तविक तथ्यों से अनभिक्ष है। इसलियये प्रार्थ का कब्जा होने का ... ही नहीं उठता है। विवादित भूमियों के मूल खातेदारों की मृत्यु होन पर उनके ...रासत के नामा0 भी मजमे आम में खुले है एवबाद में उनमें आपस में विक्रय त्याग भी ... है जिनको भी प्रार्थी ने कभी चुनौती नहीं दी है। नागरमल ने अपने हिस्से में आई ...े का तो बेचान कर दिया एवं अब भूमियों की किमत बढने का कारण मन में बेईमानी ... गई जिसके तहत काल्पिनिक तथ्यों के आधार पर वाद एवं आवेदन प्रस्तुत किया है ...ो चलने योग्य नहीं है। अनावेदक संख्या 6,8,9,10,12,13,14 आदि ने दावा दायरी से ...र्व ही अपना हक हिस्सा अन्तरण कर कदया था, इसके बावजूद भी अनावश्यक रूप से ...क्षकार बनाया गया है। अतः आवेदन प्रार्थी मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

बहस वकील उभयपक्ष सूनी गई जो मुताबिक आवेदन, जवाब आवेदन रही। वकील जवाबदाता ने अपने तर्कों के समर्थन में आरएलडब्लू 2005 (2) आर पेज 218, एआईआर ...पी पेज 54, आरआरडी 1965 पेज 120, डीएनजे 2011 (2) पेज 713 एवं एवं डीएनजे 2011 (1) पेज 92 की नजीरें पेश की । बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड आदि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया एंव प्रस्तुत नजीरों का ससम्मान अवलोकन किया गया । अस्थाई निषेधाज्ञा के आवेदन के निर्णय के लिये तीन बिन्दुओं प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णित क्षति पर विचारण किया जाता है। जो निम्न प्रकार से हैं–

1. **प्रथम दृष्टया मामला–** प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड जमाबंदी के अनुसार ग्राम पिपराली तहसील व जिला सीकर की तन में विवादित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1299 एवं 1300 की खातेदारी जमाबंदी सम्वत 2075–78 में जयप्रकाश पुत्र बजरंगलाल, प्रेमकुमार पुत्र मांगीलाल, महेश पुत्र बजरंगलाल, विनोद पुत्र उँकारमल, प्रदीपकुमार पुत्र रामोतार एंव संदीपकुमार पुत्र रामवतार के नाम दर्ज है। खतौनी जमाबंदी सम्वत 1998 ठिकाना सीकर में पुराने खसरा नम्बर 326/1527 में खातेदार के कालम में श्योनारायण वल्द मोटा दर्ज है। इसके बाद प्रथम जमाबंदी सम्वत 2011 से 14 में पुराने खसरा नम्बर 468 की खातेदारी मांगीलाल, उंकारमल, बजरंगलाल, रामोतार पिता0 श्योनारायण के नाम दर्ज है। गिरदावरी सम्वत 2011 से 14 में खसरा नम्बर 326/1527 में खातेदारी श्योनारायण वल्द मोटूराम एवं काश्तकार के कालम में

...ण्ड अधिकारी- सीकर

मांगीलाल, उंकारमल, बजरंगलाल, रामोतार पिता0 श्योनारायण के नाम दर्ज है। जमाबंदी सम्वत 2015 से 18 एवं 23 में भी इसी प्रकार दर्ज है। मिलान क्षैत्रफल के अनुसार खसरा नम्बर 1299 एवं 1300 पुराने खसरा नम्बर 468 से बनना प्रमाणित है। यहां पर यह उल्लेखनीय है कि प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के कालम संख्या 7 में यह स्पष्ट अंकित किया गया है कि (खसरा नम्बर 1474 व 1467 की किस्म परिवर्तन तहसीलदार से गुपचुप तरीके से करवा लिया है जो वर्तमान में कृषि भूमि नहीं है। जिसके संबंध में भी सक्षम प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष चाराजोही करने के अधिकार को सुरक्षित रखते हुऐ प्रस्तुत वाद खसरा नम्बर 1299 व 1300 का प्रस्तुत किया गया है।) इस प्रकार प्राथ्री का दावा व प्रार्थना पत्र मात्र खसरा नम्बर 1299 व 1300 के संबंध में है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी सम्वत 1998 ठिकाना सीकर की पुराने खसरा नम्बर 326/1527 की प्रस्तुत की गई है। जिसके नये खसरा नम्बर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 3 में अंकितानुसार खसरा नम्बर 1474 एवं 1478 बनना बताया गया है, जिसकी किस्म अलग होने से दावा न्यायालय के क्षैत्राधिकार का होने के कारण इनके बाबत कोई सहायता नहीं चाही गई है। प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजात पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह प्रमाणित होता हो कि पुराने खसरा नम्बर 468 की खातेदारी कभी श्योनारायण के नाम से रही हो। उत्तरदाता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात जमाबंदी सम्वत 2011 से 14 में खसरा नम्बर 348 की खातेदारी नागरमल पुत्र श्योनारायण के नाम से दर्ज है। सम्वत 2015 से 18 में खसरा नम्बर 347 की खातेदारी आरटीएक्ट के तहत नागरमल को प्राप्त होना प्रमाणित है, इसी प्रकार जमाबंदी सम्वत 2015 से 18 में खसरा नम्बर 346 की खातेदार नागरमल को प्राप्त होना प्रमाणित है। इनका यहां उल्लेख करना इसलिये आवश्यक है कि उत्तरदाता ने अपने जवाब में प्रार्थी को श्योनारायण के जीवनकाल में ही बालिग होने पर अलग रहना अंकित किया है। जिसकी ताईद उक्त दस्तावेजात से होती है। इस बाबत प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में कोई उल्लेख नहीं किया गया है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि प्रार्थी स्वच्छ हाथो से न्यायालय में नहीं आया है। इसके अलावा प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी भूमियों का विक्रय भी किया गया है तथा विवादित भूमियों बाबत सम्वत 2011 के बाद सम्वत 2075 में अर्थात अर्सा करीब 64 वर्ष बाद चाराजोही की गई है जिसके बाबत प्रार्थना पत्र में कोई स्पष्टीकरण अंकित नहीं किया गया है। उपर्युक्त प्रस्तुत दस्तावेजी विवेचन से स्पष्ट है कि प्रार्थी ने खसरा नम्बर 1299 एंव 1300 बाबत सहायता चाही है, उक्त भूमियों के पैतृक होने बाबत कोई दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला प्रमाणित नहीं है। ना ही

उपखण्ड अधिकारी- सीकर

काउण्टर आवेदनकर्ता संख्या 4 व 5 के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला पूर्णतया प्रमाणित

सुविधा का संतुलन – प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में प्रमाणित नहीं है, उत्तरदातागण के पूर्वज विवादित आराजी के सम्वत 2011 से खतेदार काश्तकार दर्ज है तथा उसके बाद विरासतन उत्तरदातागण खातेदार काश्तकार दर्ज है। इस प्रकार काश्तकारी अधिनियम लागू होने के समय से खातेदार काश्तकार के विरूद्व बिना किसी दस्तावेजी आधार के प्रार्थी को कोई सुविधा प्रदान नही होने के कारण सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी एवं काउण्टर आवेदनकर्ता संख्या 4 व 5 के पक्ष में नहीं है।

अपूर्णिय क्षति – उपर्युक्त दोनो सिद्वान्त प्रार्थी एवं काउण्टर आवेदनकर्ता संख्या 4 व 5 के पक्ष में प्रमाणित नहीं होने के कारण उन्हे किसी प्रकार की अपूर्णीय क्षति होना संभव नहीं है। यह सिद्वांत भी प्रार्थी एवं काउण्टर आवेदनकर्ता संख्या 4 व 5 के पक्ष में प्रमाणित नहीं होता है।

निष्कर्ष– उपर्युक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि प्रार्थी एवं काउण्टर आवेदनकर्ता संख्या 4 व 5 के पक्ष में सभी बिन्दु प्रमाणित नहीं है। प्रस्तुत नजीरों के आधार पर प्रार्थी एवं काउण्टर आवेदनकर्ता को कोई सहायता प्रदान नहीं की जा सकती है क्योंकि नजीरें भी उनके कथनों पर चस्पा नहीं होती है। अतः आवेदन प्रार्थी एवं काउण्टर आवेदन अप्रार्थी संख्या 4 व 5 अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट वाके ग्राम पिपराली तहसील व जिला सीकर की तन में कृषि भूमि खसरा नम्बर 1299, 1300 किता 2 कुल रकबा 2.4900 है0 का खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 17.8.25 को खुले न्यायालय में मेरे हस्ताक्षर से सुनाया ।

(जय कौशिक)
उपखण्ड अधिकारी, सीकर

उपखण्ड अधिकारी, सीकर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर (राज.)